न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ललित मीणा आर0ए0एस0

उनवान:–

1. कृष्ण कन्हैया पुत्र कुमरपाल जाति काछी निवासी वंशी वागरी तहसील रूपबास जिला भरतपुर (राज0)

वादी / प्रार्थी

बनाम

1. कुमरपाल
2. किशनसिंह
3. अशोक पुत्रान रामसिंह
4. विमलेश पत्नि किशनसिंह
5. सौमौती पत्नि कुमरपाल
6. नत्थी सिह पुत्र श्रीचन्द समस्त जातियान काछी निवासी बंशी बागरी तहसील रूपबास
7. राधा रमन पुत्र जौहरी जाति ब्राहमण निवासी सिकरौदा तहसील रूपवास
8. चेतकौर पुत्र रामसिह पत्नि खूवीराम जाति माली निवासी वैर तहसील वैर
9. बरफी पत्नि भगवान सिह
10. रूपसिह पुत्र बुद्वि
11. भगवान सिह पुत्र ताराचन्द समस्त काछी निवासी वहरावली
12. नर्वदा पत्नि भगवान सिह जाति कछवाहा निवासी मारूति स्टेट चौराहा वोरला आगरा
13. पुस्कर लाल पुत्र गंगादेई पुत्री रामसिंह
14. जमना
15. भगवती
16. जानकी पुत्रिया गंगादेई जाति काछी निवासी वमनपुरा मौहल्ला बयाना जिला भरतपुर राज.
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 रूपवास

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

18. प्रबन्धक महोदय बैक शाखा पंजाब नेशनल बैंक खानुआ तह0 रूपवास

19. सुम्मेरा पुत्र रामजीलाल जाति काछी निवासी वंसीवागरी तह0 रूपवास

20. वीरेन्द्र

21.प्रेम सिंह

22. राकेश कुमार

23. उदयवीर पुत्रान महावीर सिह जाति धोवी निवासी पीली पोखर तह0 एत्मादपुर जिला आगरा उ.प्र.

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री मुकेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट .....प्रार्थी

2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट ..... अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 12/01/2021

संक्षेपतः प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्राथी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 आर0टी0ए0 के अन्तर्गत पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 208 रकबा 01 बीघा 18 विस्वा. 764/101 रकबा 02 बीघा 04 विस्वा 67 रकबा 05 बीघा 98 रकबा 02 बीघा 11 विस्वा. 99 रकबा 03 बीघा 07 विस्वा 107 रकबा 04 बीघा 03 विस्वा. 160 रकबा 03 बीघा 11 विस्वा दृ 457 रकबा 05 बीघा 14 विस्वा. 808/233 रकबा 03 बीघा 09 विस्वा. 235 रकबा 06 बीघा 06 विस्वा. 22 रकबा 08 बीघा 19 विस्वा. 323/1 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा. 397/1 रकबा 11 विस्वा. वाकै ग्राम बंशी वागरी तहसील रूपबास जिला भरतपुर में स्थित हैं जिसकी नकल जमाबंदी संवत 2067 –2070 संलग्न है।

उक्त आराजी वादी/प्रार्थी के वावा स्वर्गीय श्री रामसिंह की छोडी हुई एवं उनकी स्वंम अर्जित सम्पति है जिसको उन्होंने अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा से व बदुस्ती होशो हवास में दिनांक 23/7/1996 वादी एवं वादी के भाई महेश कुमार के हक में वसीयतनाम तहरीर व तस्तीक करवाकर नोटरी पब्लिक से तस्तीक करवाया था श्री रामसिंह का दिनांक 29/9/1996 को देहांत हो गया वादी के हक में की गई यह वसीयत अंतिम वसीयत है वादी के उक्त भाई महेश की मृत्यु हो गई इसलीय वादी ही अकेला विवादित आराजी का स्वामी हो गया है। प्रतिवादीगण अधिकतर वादी के परिवारजन है। जिन्होंने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त आराजी का विरासत का नामांतकरण अपने नाम करवा लिया है। वादी को प्रतिवादीगण ने धमकी दी की हमने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर के रामसिंह की छोडी हुई उक्त आराजी को तुम्हारी नावालिगी में अपने नाम करवा लिया है अब हम तुम्हारे नाम का राजस्व रिकार्ड में

सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

इदाज नही करने देगे यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी में सफल हो गये तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपुर्ति रूपयों पैसों से सम्भव नहीं है। इसलिए प्रातिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एव स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 208 रकबा 01 बीघा 18 विस्वा. 764/101 रकबा 02 बीघा 04 विस्वा 67 रकबा 05 बीघा 98 रकबा 02 बीघा 11 विस्वा. 99 रकबा 03 बीघा 07 विस्वा 107 रकबा 04 बीघा 03 विस्वा. 160 रकबा 03 बीघा 11 विस्वा दृ 457 रकबा 05 बीघा 14 विस्वा. 808/233 रकबा 03 बीघा 09 विस्वा. 235 रकबा 06 बीघा 06 विस्वा. 22 रकबा 08 बीघा 19 विस्वा 323/1 रकबा 01 बीघा 11 विस्वा. 397/1 रकबा 11 विस्वा. वाकै ग्राम बंशी वागरी तहसील रूपबास जिला भरतपुर में प्रार्थी के कब्जे कास्त में कोई बाधा उत्पन्न करे और ना ही उक्त आराजी को दीगर व्यक्ति हो रहनवय मुक्तकिल नहीं करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया अप्रार्थी संख्या 7,18,19 के विरूद्ध दिनांक 13/3/18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई अप्रार्थीगण ने जवाव पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि उक्त आराजी बाबा श्री रामसिंह (मृतक) की स्वं अर्जित आराजी नहीं है क्योंकि उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3,8 व 13 लगा0 17 के बाबा श्री वंशी पुत्र नंदकिशोर की छोडी हुई आराजी है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा सही तथ्यों को जानबुझकर छिपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका वास्तविकता से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है उक्त विवादित आराजी मृतक वंशी की छोडी हुई आराजी है जो रामसिंह-को विरासतन प्राप्त हुई जिसकी वसीयत का अधिकार रामसिंह को नहीं था यदि ऐसी स्थिति में कोई वसीयत की जाती है तो आर0टी0ए0 के प्रवधानों के तहत उसे नल एंड वोईड घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है वसीयत स्वतः ही निस्प्रभावी समझी जावेगी। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उभयपक्ष के योग्य अभिभाषक गणों की वहस सुनी गई एवं उनके तर्कों पर मनन किया गया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के जवाव प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्राइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
डीग (भरतपुर)